न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 09/2019

अनवान : –

1. रामेश्वरी पत्नी रूड़मल जाति कुम्हार साकिन परलीका तहसील नोहर।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. पोकरराम– फौत

   1/1. बिरमा पत्नी पोकरराम 1/2. सुखराम 1/3. सुभाष 1/4. विनोद 1/5. इमरती पि0 पोकरराम जाति मेघवंशी निवासी परलीका तहसील नोहर।

2. कुशलाराम पुत्र नत्थुराम जाति मेघवंशी साकिन परलीका तहसील नोहर।

– असल अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थीया**

श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय   दिनांक: 18/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने दिनांक 06.07.2015 को गैरसायलान के खेत रोही मौजा 2 आरएमजी प0न0 361/413 मु0न0 62 के किला न0 11 में से दक्षिण किनारे से पश्चिम से पूर्व 1 बीघा में रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत अनवानी रामेश्वरी बनाम पोकर प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24.05.2017 को खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीया रामेश्वरी ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के यहां अपील स0 243/2017 अनवानी रामेश्वरी बनाम पोकर राम आदि प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 30.04.2019 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.05.2017 को अपास्त कर इस विवेचन के साथ रिमाण्ड किया गया की उभयपक्षों को सुनकर एवं तहसीलदार की विस्तृत रिपोर्ट लेकर पुन विधिसम्मत निर्णय पारित करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षो को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री राजपाल झोरड़ ने वकालतनामा पेश किया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रौही चक 2 आरएमएस. तहसील नोहर खाता संख्या 124/110 पत्थर नम्बर 361/413 मुरब्बा नम्बर 62 किला नंबर 7/.253, 8/.253, 12/.253, 13/.253, 14/.253, 15/.2277, 16/.2277, 17/.253, 24/.253, 25/.2277 पत्थर नम्बर ० मुरब्बा नम्बर 82/30 किला नम्बर 0/3 तादादी 0.0759 हैक्टर कुल तादादी 2.5300 हैक्टर भूमि सायल के कब्जा काश्त में है।

आराजी जरई खाता संख्या 65/60 पत्थर नम्बर 360/413 मुरब्बा नम्बर 61 किला नम्बर 3/.253, 4/.253, 5/.2277, 6/.2277, 7/.253, 8/.253 13/.253, 14/.253, 15/.2277 पत्थर नम्बर 361/413 मुरब्बा नम्बर 62 किला नम्बर 1/.2277, 2/.2277, 9/.253, 10/.253, 11/.253 पत्थर नम्बर ० मुरब्बा नम्बर 82/31 किला नम्बर 0 तादादी 0.0506 टैक्टर मुरब्बा नम्बर 85/27 किला नम्बर 0 तादादी 0.0759 कुल तादादी 3.5420 हैक्टर वाके रौही मौजा चक 2 आरएमएस. तहसील नोहर गैर सायलान नम्बर 1 व 2 के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:48:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायला को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए कोई भी नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नही है सायला के लिए सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता मंजुर शुदा रास्ता से चलकर उक्त रास्ता से सायला के द्वारा गैरसायल की भूमि प0न0 362/413 (62) किला न0 11 ,में से दक्षिणी किनारे पश्चिम से पूर्व रास्ता चाहती है तथा उक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण सायल को कोई रास्ता उपलब्ध नही है। सायला के अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु सुविधाजनक व नजदीकी रास्ता नही होने से सायला को अपनी खातेदारी के उपयोग व उपभोग से वंचित होना पड़ रहा है जिससे सायला को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायल स0 1 के खेत रोही मौजा 2 आरएमजी प0न0 361/413 मु0न0 62 के किला न0 11 में से दक्षिण किनारे से पश्चिम से पूर्व 1 बीघा में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज के आदेश फरमावे

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायल की भूमि रोही मौजा 2 आरएमजी प0न0 361/413 मु0न0 62 के किला न0 11 में से दक्षिण किनारे से पश्चिम से पूर्व 1 बीघा स्वीकृत किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 2 आरएमजी प0न0 361/413 मु0न0 62 के किला न0 11 में से कोई रास्ता स्वीकृत करवा पाने के अधिकारी नही है। सायला के द्वारा मिन उत्तरदाता के किला न0 11 में से रास्ता की मांग की गई है जबकि खाला व रास्ता पत्थर लाईन से ही स्वीकृत करवाया जा सकता है बिना किला, मुरब्बा के बीच में से कोई रास्ता कानूनी रूप से स्वीकृत नही किया जा सकता है सायल उक्त किला न0 के बजाय प0न0 361/413 (6) के किला न0 21, 22, 23 में पश्चिम से पूर्व चल कर अपने खेत के किला न0 24 में प्रवेश करती है। यही रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किया जावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायला को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए कोई भी नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नही है सायला के लिए सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता मंजुर शुदा रास्ता से चलकर उक्त रास्ता से पश्चिमी से पूर्व पत्थर न0 361/413(62) के किला न0 11 में रास्ता दर्ज किया जावे। उक्त रास्ता के अलावा सायल को अपनी खातेदार भूमि मे जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। सायला के अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु सुविधाजनक व नजदीकी रास्ता नही होने से सायला को अपनी खातेदारी के उपयोग व उपभोग से वंचित होना पड़ रहा है जिससे सायला को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायल के खेत के पत्थर न0 361/413(62) के किला न0 11 में [illegible] स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज के आदेश फरमावे एवं रास्ता के बद[illegible] बाजार भाव से रूपये दिया जावे। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वी[illegible] फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की सायला द्वारा किला न0 11 में से कभी भी आवागमन नही किया गया है। सायला के द्वारा किला न0 11 में से रास्ता की मांग की गई है जबकि खाला व रास्ता पत्थर लाईन से ही स्वीकृत करवाया जा सकता है बिना किला,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:48:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मुरब्बा के बीच में से कोई रास्ता कानूनी रूप से स्वीकृत नही किया जा सकता है सायल उक्त किला न0 के बजाय प0न0 361/413 (6) के किला न0 21, 22, 23 में पश्चिम से पूर्व चल कर अपने खेत के किला न0 24 में प्रवेश करती इसलिए किला न0 21, 22 23 में से रास्ता स्वीकृत किया जावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रौही चक 2 आरएमएस. तहसील नोहर खाता संख्या 124/110 पत्थर नम्बर 361/413 मुरब्बा नम्बर 62 किला नंबर 7/.253, 8/.253, 12/.253, 13/.253, 14/.253, 15/.2277, 16/.2277, 17/.253, 24/.253, 25/.2277 पत्थर नम्बर o मुरब्बा नम्बर 82/30 किला नम्बर 0/3 तादादी 0.0759 हैक्टर कुल तादादी 2.5300 हैक्टर भूमि सायल के कब्जा काश्त मे है। आराजी जरई खाता संख्या 65/60 पत्थर नम्बर 360/413 मुरब्बा नम्बर 61 किला नम्बर 3/.253, 4/.253, 5/.2277, 6/.2277, 7/.253, 8/.253 13/.253, 14/.253, 15/.2277 पत्थर नम्बर 361/413 मुरब्बा नम्बर 62 किला नंबर 1/.2277, 2/.2277, 9/.253, 10/.253, 11/.253 पत्थर नम्बर o मुरब्बा नम्बर 82/31 किला नम्बर 0 तादादी 0.0506 टैक्टर मुरब्बा नम्बर 85/27 किला नम्बर 0 तादादी 0.0759 कुल तादादी 3.5420 हैक्टर वाके रौही मौजा चक 2 आरएमएस. तहसील नोहर गैर सायलान नम्बर 1 व 2 के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है।

सायला द्वारा गैरसायल की भूमि के रोही मौजा 2 आरएमजी प0न0 361/413 मु0न0 62 के किला न0 11 में से दक्षिण किनारे से पश्चिम से पूर्व स्वीकृत करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट सायलान के कथनों की पूष्टी करती है अर्थात सायलान को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये प0न0 361/413 मु0न0 62 के किला न0 11 में से दक्षिण किनारे से पश्चिम से पूर्व आवागमन सायला के लिए सुविधाजनक व निकटतम है।

गैरसायल का कथन है कि सायला द्वारा किला न0 11 में से कभी भी आवागमन नही किया गया है। सायला के द्वारा किला न0 11 में से रास्ता की मांग की गई है जबकि खाला व रास्ता पत्थर लाईन से ही स्वीकृत करवाया जा सकता है बिना किला, मुरब्बा के बीच में से कोई रास्ता कानूनी रूप से स्वीकृत नही किया जा सकता है सायल उक्त किला न0 के बजाय किला न0 21, 22, 23 में से अपने खेत के किला न0 24 में प्रवेश करती है इसलिए किला न0 21, 22 व 23 में से रास्ता स्वीकृत किया जावे। इसलिए उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित नही है। लेकिन तहसीलदार द्वारा [illegible] मौका रिपोर्ट के मुताबिक रोही मौजा 2 आरएमजी प0न0 361/413 मु0न0 [illegible] किनारे से पश्चिम से पूर्व से आवागमन सायला के लिए सुविधाजनक व निकटतम है नजरीय नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त रास्ता सूविधाजनक एव नजदीकी है इससे अधिक नजदीकी रास्ता सायल की भूमि में जाने के लिये उपलब्ध नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:48:15 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार स्वीकृत शुद्वा रास्ता से सायलान की खातेदारी भूमि तक पहुचने का सबसे छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्रतीत होता है अर्थात सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः साायल का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर गैरसायल की भूमि रोही मौजा 2 आरएमजी प0न0 361/413 मु0न0 62 के किला न0 11 में से दक्षिण किनारे से पश्चिम से पूर्व 1 किला में 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है एव रास्ता की भूमि की एवज में अप्रार्थी की चिपती हुई भूमि को प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में से में से कम की जाकर अप्रार्थी के नाम दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:48:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

क्रमांकः रीडर / रास्ता / 2026 / 321 दिनांकः– 18.2.26

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर।

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना पत्र स0–09 / 2019 निर्णय दिनांक 18.2.26 ।

प्रकरण संख्या – 09 / 2019
अनवान : –

1. रामेश्वरी पत्नी रूड़मल जाति कुम्हार साकिन परलीका तहसील नोहर।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. पोकरराम– फौत
   1/1. बिरमा पत्नी पोकरराम 1/2. सुखराम 1/3. सुभाष 1/4. विनोद 1/5. इमरती पि0 पोकरराम जाति मेघवंशी निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. कुशलाराम पुत्र नत्थुराम जाति मेघवंशी साकिन परलीका तहसील नोहर।

– असल अप्रार्थीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 09 / 2019 अनवान रामेश्वरी बनाम पोकरराम आदि में निर्णय दिनांक 18.2.26 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर गैरसायलान की रोही मौजा 2 आरएमजी प0न0 361 / 413 मु0न0 62 के किला न0 11 में से दक्षिण किनारे से पश्चिम से पूर्व 1 किला में 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है एव रास्ता की भूमि की एवज में अप्रार्थी की चिपती हुई भूमि को प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में से में से कम की जाकर अप्रार्थी के नाम दर्ज की जाती है यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:48:15 IST
Reason: SelfAttested